भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,

रोड, नई दिल्ली–110001

तारीखः– 10 अगस्त 2023

10 श्रावण, 1945 (शक)

अधिसूचना

100/पूर्वोत्तर अनु.–1/त्रिपुरा.–वि.स./2/2023: **यतः** त्रिपुरा राज्य की विधान सभा में **20–बोक्सा नगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित **श्री समसुल हक** की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक **19 जुलाई 2023** से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

2. **यतः** इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक उप–निर्वाचन कराया जाना है;

3. **अतः**, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वाराः–

(अ) त्रिपुरा राज्य से उक्त **20–बोक्सा नगर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार **10 सितम्बर 2023 (रविवार)** से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:–

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख :	17 अगस्त 2023 (गुरूवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख :	18 अगस्त 2023 (शुक्रवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख :	21 अगस्त 2023 (सोमवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा :	5 सितम्बर 2023 (मंगलवार)
(ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा :	10 सितम्बर (रविवार)

नियत करता है; और

(इ) **7.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे** सायं तक का समय ऐसे समय के रूप में **नियत करता है**, जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

ICA/D/754/23
(18x6)

आदेश से,

(संतोष कुमार दूबे)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

Printed at the Tripura Government Press, Agartala.